00=कार्यालय नगर परिषद चौंद, जिला छिन्दवाड़ा=00

दूरभाष एवं फैक्स नंबर – ....
वेबसाईट – .... ई–मेल : ....

क्रमांक /144/रा.शा./न.प./2026 चौंद, दिनाँक 22/04/26

।। दुकानों के अन्तरण किये जाने सूचना।।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर परिषद चौंद जिला छिंदवाडा द्वारा वार्ड कमांक 14 में 05 दुकान को किराये से दिया जाना है निविदा का विस्तृत विवरण https://www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदादाता जो वेबसाईट में पंजीकृत है इस निविदा में दरें प्रस्तुत कर सकते है। अंतरण से संबंधित नियम, शर्तो एवं आरक्षण से संबंधित जानकारी एवं अन्य विवरण कार्यालयीन दिवस में राजस्व शाखा में देखी जा सकती है । आरक्षित दुकान में भाग लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विवरण निम्नानुसार है :–

स्थल :– वार्ड कमांक 14 में 05 दुकाने को किराये से दिये जाने के हेतु

टेण्डर क0	दु0 क0	साईज (वर्गफीट में)	निर्धारित प्रीमियम (रूपये में)	वर्षिक भू–भाटक / किराया	अमानत राशि (रूपये में) 10 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)	आरक्षण की स्थिति
2026UAD-502399-1	01	220	**10,00,000**	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत	1,00,000/–	1,000/–	सामान्य
2026UAD-502400-1	02	220	**10,00,000**	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत	1,00,000/–	1,000/–	सामान्य
2026UAD-502401-1	03	220	**10,00,000**	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत	1,00,000/–	1,000/–	सामान्य
2026UAD-502402-1	04	220	**10,00,000**	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत	1,00,000/–	1,000/–	सामान्य
2026UAD-502403-1	05	220	**10,00,000**	स्वीकृत प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत	1,00,000/–	1,000/–	सामान्य

<u>निविदा की शर्तेः–</u>

1. प्रत्येक निविदाकार शासन द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकृत प्रणाली के पोर्टल की बेबसाईट https://www.mptenders.gov.in में पंजीकृत होना अनिवार्य हैं जिस नाम से आई0डी0 होगी उसी नाम से निविदा ऑफर प्रस्तुत किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र की खरीदी ऑन–लाईन बेबसाईट https://www.mptenders.gov.in में ऑन–लाईन पेमेन्ट एवं पोर्टल सर्विस चार्ज के द्वारा दिनांक 23/04/26 समय 05.30 बजे से दिनांक 26/05/26 समय 5.30बजे तक खरीदे जा सकते हैं।
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अमानत राशि ऑन–लाईन पेमेन्ट द्वारा किया जावेगा।
4. निविदा दस्तावेज में पेन कार्ड, आधार कार्ड, निविदा आवेदन पत्र, अमानत राशि एवं निर्धारित प्रारूप में शपथपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षित दुकानों के लिये उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समस्त निविदा प्रपत्रों में निविदाकार को डिजीटल हस्ताक्षर करना होगा।
6. निविदा ऑन–लाईन जमा करने की दिनांक 23/4/26 समय 5.30 से दिनांक 26/05/26 समय 5.30 बजे तक हैं।
7. निविदा फार्म खोलने की दिनांक 28/05/26 समय 12.30 से हैं।
8. निविदा में संशोधन केवल बेबसाईट पर देख सकते है। अखबारों में इसका प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

<u>**निविदा में भाग लेने की प्रकिया :–**</u>

1. निविदा दो लिफाफा पद्धति (A,C) अनुसार ऑन लाईन प्रस्तुत की जावेगी।
2. । – लिफाफा के अन्दर ऑन लाईन निम्नलिखित अभिलेख होगें।
   - पावती, निविदा प्रपत्र की रसीद
   - पावती धरोहर राशि Online Payment Through Debit Card/Credit Card/Internet Banking or System Generated Challan
   - पेन कार्ड, आधार कार्ड, आरक्षण की स्थिति में प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।
3. लिफाफा–। में निर्धारित मापदण्ड/अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले निविदाकार को अपात्र मानकर वित्तीय लिफाफा–C खोला जावेगा।
4. C (वित्तीय बिड) ऑन लाईन प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद चांद

नोटः–

1. दुकानों के ऑन–लाईन ऑफर प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपना डिजीटल हस्ताक्षर बनवाना आव यक है इसके पश्चात् https://www.mptenders.gov.in में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। डिजीटल हस्ताक्षर की सहायता से पासवर्ड के माध्यम से आवेदन की बेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर लॉगइन करने के पश्चात् urban administration and development में जाकर टेण्डर सर्च कर अपनी पंसद की दुकान के लिए ऑन–लाईन आवेदन कय कर सकते हैं।
2. यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नगर परिषद चॉंद कार्यालय के राजस्व शाखा में कार्यालयीन दिवस एव समय पर देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष (दानसिंह पटेल जी) नगर परिषद चांद	उपाध्यक्ष (देवेन्द्र सिंह पटेल जी) नगर परिषद चांद	मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी (हिप्पा) नगर परिषद चांद नगर परिषद चॉंद

पृ0 क0/ 145 /रा.शा./न.प./20226 दिनॉंक 22/04/26

प्रतिलिपिः–

1. संपादक ———————————— छिन्दवाड़ा की ओर प्रेषित कर लेख है कि वे अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में केवल एक दिन के लिये कम से कम स्पेश में उपरोक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कर देयक समाचार पत्र की तीन प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. न.प कार्यालय/तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद चॉंद
नगर परिषद चांद
जिला छिन्दवाड़ा

निविदा की शर्तेः–

1. दुकानो का अंतरण ई–निविदा के माध्यम से म0प्र0 नगर पालिका अचल सम्पत्ति अंतरण नियम–2016 एवं संशोधित नियम 04 मई 2021 में दिये गये प्रावधानो के अंतर्गत 30 वर्ष की लीज पर अंतरण किये जाने हेतु किया जा रहा है। अवधि समाप्ति उपरांत लीज का नवीनीकरण म0प्र0न0पा0 अचल सम्पत्ति अंतरण नियम के उपबंधो के अधीन एवं स्थानीय शासन विभाग के आदे ाो के अनुसार किया जा सकेगा।
2. म0प्र0 नगर पालिका अचल सम्पत्ति का अंतरण नियमों के अंतर्गत वार्ड कमांक 05 में बैल बाजार मुख्य क्षेत्र के बाजू में निर्माणाधीन दुकानें प्राप्त करने हेतु निविदादाता को ई–निविदा राज्य सरकार द्वारा जारी ई–निविदा को आमंत्रित करने के लियें जारी दिशा–निर्दे ाों के अधीन विहित प्रकिया अनुसार ऑन लाईन के माध्यम से निविदा में भाग लेना होगा।
3. प्रत्येक निविदाकार शासन द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकृत प्रणाली के पोर्टल की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in में पंजीकृत होना अनिवार्य है जिस नाम से आईडी होगी उसी नाम से निविदा ऑफर प्रस्तुत किया जावेगा।
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑन लाईन पेमेन्ट द्वारा किया जावेगा। निविदा प्रपत्र रा ि ा वापसी योग्य नहीं होगी।
5. केवल परिषद द्वारा जारी एवं ई–निविदा ऑफर ही स्वी कृत किये जावेगे, प्रस्तुत ई निविदा ऑफर उच्चतम प्रीमियम के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा। कोई भी ई निविदा सशर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदा में भाग लेने हेतु अमानत राशि प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत जो Online payment through Debit Card/Credit Card/Internet Banking or system Generated Challan जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चाँद जिला छिंदवाडा के नाम से देय हो, जमा करना होगा।
7. यदि कोई निविदादाता एक से अधिक दुकान हेतु निविदा ऑफर प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक दुकान के लिये पृथक–पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्राप्त समस्त निविदा ऑफर अस्वीकृत कर दिये जावेगे।
8. निविदा दस्तावेजों में पेन कार्ड, आधार कार्ड, निविदा आवेदन पत्र, अमानत राशि एवं संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आरक्षित दुकानों के लिये उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. ई–निविदा ऑफर फर्म की ओर से प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित फर्म का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज एवं फर्म की ओर से अधिकृत होने का प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड किया जाना होगा।
10. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद स्वीकृत निविदा की 25 प्रतिशत राशि सूचना प्राप्ती के बाद जमा करनी होगी, अन्यथा निविदा निरस्त की जाकर जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जावेगी एवं पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी जिसमें होने वाली हानि की वसूली जमा रा ि ा के अतिरिक्त संबंधित निविदाकर्ता की चल/अचल सम्पत्ति से वसूली करने का अधिकार परिषद को होगा।
11. स्वीकृत निविदा की शेष रा ि ा परिषद द्वारा सूचना देने तथा सूचना में द ार्यी समयावधि में अर्थात 120 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आधिपत्य प्राप्त करने की पूर्व संपूर्ण रा ि ा जमा कर आधिपत्य प्राप्त करना होगा। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं पुनः निविदा की द ाा में सारा खर्च एवं हर्जाने की वसूली नगर परिषद के पास जमा रा ि ा को राजसात कर समायोजित कर ली जावेगी तथा शेष नुकसान की रा ि ा परिषद विधान अंतर्गत वसूल की जावेगी।
12. निविदाकर्ता द्वारा दुकान की संपूर्ण राशि मय ब्याज के जमा करने के पश्चात् अनुबंध अपने स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से निष्पादित करावेगा। सफल आवंटिती का आवंटित परिसर की छत पर कोई

अधिकार नहीं होगा तथा नगर परिषद द्वारा उक्त छत पर निर्माण करने तथा छत विकय करने हेतु स्वतंत्र होगी।

13. लीज की अवधि के भीतर लीजधारी की मृत्यु के उपरांत उसके वैद्य उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर परिषद द्वारा अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखकर पुनः लीजधारी के लिये परिषद अधिनियम तथा शासन निर्दे ों के तहत अनुबंध करने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

14. दुकान का भू-भाटक स्वीकृत निविदा ऑफर में प्राप्त प्रीमियम राशि का 2 प्रति त वार्षिक होगा, इसके अतिरिक्त नियमानुसार जीएसटी एवं स्वच्छता शुल्क भी देय होगा। पट्टाधारी का यह दायित्व होगा कि अवधि के पूर्व भू-भाटक राशि जमा करें, निर्धारित तिथि के पूर्व भू-भाटक जमा करने में असफल रहने की दशा में नियमानुसार सरचार्ज/ब्याज देय होगा। भू-भाटक अग्रिम देय होगा। नियमित रूप से भू-भाटक जमा किये जाने का उत्तरदायित्व पट्टाधारी का होगा। परिषद द्वारा इसके लिए पृथक से सूचना जारी नही की जावेगी।

15. निविदा स्वीकृत करने या न करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, चाँद जिला छिन्दवाड़ा को होगा तथा अस्वीकृत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया जावेगा।

16. दुकान जिस वर्ग के लिये आरक्षित होगी, उस पर उसी आरक्षित वर्ग के सदस्य ही ऑफर प्रस्तुत कर सकता है। आरक्षित वर्ग के सदस्य को आव यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से ऑफर के साथ अपलोड करना होगा। दस्तावेजो के अभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर पर विचार नहीं किया जावेगा।

17. निर्माणाधीन दुकानो के प्रीमियम राशि जमा करने के संबंध में म0प्र0नगर पालिका अचल सम्पत्ति का अंतरण नियम (संशोधित) के नियम-7(2) अनुसार प्रावधान लागू होंगे। लीज की अवधि आधिपत्य पाने की दिनांक से आरंभ होगी।

18. यदि दुकान के प्रीमियम हेतु दो या अधिक के उच्चतम ऑफर एक समान प्राप्त होते है तो संबंधितो से संशोधित ऑफर सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कर उच्चतम ऑफर की स्वीकृति का निर्णय लिया जावेगा।

19. आरक्षित वर्ग की दुकाने उसी संवर्ग में हस्तांतरित की जावेगी।

20. दुकान आवंटन 30 वर्ष की लीज अवधि के लिये व्यवसायिक उपयोग हेतु किया जा रहा है। प्रत्येक 5 वर्ष में वार्षिक भू-भाटक में 10 प्रति त की वृद्धि की जावेगी।

21. यदि बीच में कोई आवंटिती किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहे तो उसके लिये नगर परिषद की अनुमति लेना होगा। अनुमति के लिये परिषद कोष में नियमानुसार नामांतरण शुल्क देय होगा और तत्समय प्रचलित किराये से तत्काल 25 प्रति त वृद्धि की जावेगी। यह वृद्धि शेष अवधि तक रहेगी तथा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात पुनः
शर्त कमांक 20 के अनुसार वृद्धि की जा सकेगी। शासन आदे ा यदि समय-समय पर सं ोधित होगे तो वे दोनो पक्षों पर लागू होंगे।

22. यदि सम्पत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड या अन्य किसी दुघर्टना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, चाँद जिला छिंदवाड़ा किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

23. सम्पत्ति का रखरखाव एवं आव यक मरम्मत पट्टेधारी द्वारा किया जावेगा।

24. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, चाँद जिला छिन्दवाड़ा लोकहित में उक्त सम्पत्ति का अंतरण निरस्त कर सकेगा, और व्यवस्थापन वैकल्पिक स्थल पर कर सकेगा।

25. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, चाँद जिला छिन्दवाड़ा द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जावेगा।

26. पट्टाधारी को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी। जो उसकी सम्पत्ति तथा आस-पास की सम्पत्तियों के लिये असुरक्षित हो।

27. पट्टाधारी किसी ऐसी गतिविधियों का कियान्वयन नही करेगा। जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आस-पास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती है।

28. पट्टाधारी इन निर्मित बनाये गये नियमों और उसके अधीन बनाये गये उपबंधो और अनुबंध की शर्तो के अनुपालन में चूक करने की दशा में सम्पत्ति का अंतरण निरस्त किया जा सकेगा।

29. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित कर/शुल्क/अन्य प्रभारो का भुगतान पट्टाधारी के द्वारा किया जावेगा।

30. लीजधारी आवंटित परिसर में स्वयं ही व्यवसाय करेगा। किसी अन्य को उपकिराये पर सहकिराये से या अन्य तरीके से नही देगा। लीजधारी द्वारा आवंटित परिसर में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं किया जावेगा। जिससे कि परिषद सम्पत्ति को क्षति पहुचने की संभावना हो तथा परिषद द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो और लीजधारी द्वारा ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं किया जावेगा जिससे अन्य लीजधारी के व्यवसाय में बाधा पहुचंती हो ऐसे व्यवसाय पर परिषद रोक लगा सकेगा।

31. दुकान के संरचनात्मक भागो के किसी भी भाग में कोई अतिरिक्त कार्य करने या परिवर्तन करने की पात्रता नहीं होगी, जो संरचना की सुरक्षा को प्रभावित करती हो, तथा वह इसे उसी स्थिति में रखेगा जैसे कि उसे प्रदान किया गया हो, साथ ही लीजधारी को आवंटित परिसर की मरम्मत/पुताई इत्यादि का कार्य स्वयं के व्यय से करना होगा। व्यय का समायोजन नहीं किया जावेगा।

32. लीजधारी को विघुत फिटिंग इत्यादि अपने व्यय से करानी होगी। परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जावेगा तथा प्रत्येक माह का विघुत व्यय भुगतान भी लीजधारी को स्वयं करना होगा।

33. इन शर्तो के संबंध में अथवा निविदा के समय उत्पन्न कोई भी विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद, चाँद जिला छिन्दवाड़ा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

34. लीज की अवधि मे लीजधारी नगर परिषद की अनुमति के बिना अपने आधिपत्य का हस्तांतरण नहीं करेगा। बिना परिषद की अनुमति से किया गया हस्तांतरण शून्य होगा।

35. उपरोक्त शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में बिना पूर्व सूचना आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

राजस्व प्रभारी
नगर परिषद, चाँद
जिला छिन्दवाड़ा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद चाँद
जिला छिन्दवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Disha Dehariya
Date: 2026.04.22 22:11:36 IST
Location: Madhya